न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 29/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00038)

1. रामरख पुत्र परत्या
2. रामसिंह पुत्र परत्या
3. श्योदान पुत्र परत्या
4. किशनलाल पुत्र परत्या

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलकी, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर दौसा आदेश क्रमांक 6240 निर्णय दिनांक 04.08.2017

उपस्थित :–

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट अनुपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 01.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 04.08.2017 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 14.11.2017 को पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत पीपलकी पं0स0 सिकराय की मॉग एवं अनुरोध के आधार पर तहसीलदार सिकराय ने अपने पत्र क्रमांकः 3332 दिनांक 14.12.2016 एवं उपखण्ड अधिकारी सिकराय ने अपने पत्र क्रमांकः 856 दिनांक 15.12.2016 के द्वारा ग्राम पीपलकी, तहसील सिकराय स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 306/2 रकबा 90 बीघा 13 बिस्वा में से 2.00 बीघा भूमि आबादी हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट करने का प्रस्ताव प्रेषित किया। प्रस्तावित भूमि पर पूर्व से आबादी बसी हुई होने के कारण एक अन्य प्रकरण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहने पर संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 23.03.2017 में अंकितानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में पूर्व से आबादी बसी हुई भूमि को आबादी हेतु आरक्षित किया जाना अप्रासंगिक माना है।

जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2017 द्वारा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से एक अन्य प्रकरण में प्राप्त आदेश क्रमांकः प. 1(88)राज–3/2015 दिनांक 23.03.2017 के अनुसरण में ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 306/2 रकबा 90 बीघा 13 बिस्वा में से 2.00 बीघा भूमि को आबादी हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट करने के प्रस्ताव को एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त भूमि से नियमानुसार अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये।

3. जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 04.08.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामरख पुत्र परत्या वगैरहा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं जिला कलेक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता अनुपस्थित। बहस रेस्पोडेन्ट सुनी गयी।

5. अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स के मकान बने हुये है तथा बहुत दिनों से इस भूमि पर मकान बनाकर अपीलान्ट्स निवास करते चले आ रहे है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा इन सब बातों को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया गया। भूमि खसरा नम्बर 306/2 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 68 है, रकबा 2 बीघा वैसे तो चरागाह भूमि है परन्तु चरागाह के लिये नदी नालों से वैकल्पिक व्यवस्था पशु चराने के लिये पर्याप्त है। जिसके लिये उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा इस बात की अनुशंसा जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष भिजवाई गई। परन्तु जिला कलेक्टर दौसा ने इस बात को नजरअन्दाज करते हुये अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश जारी कर दिये है, जो कि न्यायहित में नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त चरागाह भूमि के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति हेतु अन्य सिवायचक व बंजड भूमि ग्राम में उपलब्ध नहीं है। अतः क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव किया जाना सम्भव नहीं है। इस बात की अनुशंसा भी उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा को भिजवायी गई, लेकिन श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा द्वारा इस बात को भी नजर अंदाज करते हुये अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया।

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 322/41 रकबा 1 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही सिवायचक है जो कि आबादी हेतु उपयुक्त नहीं है। इसलिये चरागाह भूमि को आबादी हेतु आरक्षित करने के लिये भी उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ पर अनुशंसा भेजी गई थी, लेकिन इस बात को भी ध्यान में नही रखा, और आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट के मकानात जहाँ पर बने हुये है और जो आबादी भूमि प्रस्तावित उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा भेजी गई है, वह भूमि किसी अन्य प्रयोजनार्थ हेतु प्रस्तावित नहीं है। अपितु आबादी हेतु आरक्षित किये जाने योग्य भूमि है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा गया और अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा की जितनी आबादी है, उस आबादी के अनुपात में वहाँ की आम जनता को निवास करने के लिये आबादी भूमि पर्याप्त नहीं है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा इस बात को भी ध्यान में नही रखा। इस भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा काफी रूपया खर्च करके अपने रिहायशी मकानात बनाये है तथा अपीलान्ट्स की ओर अन्य जगह निवास करने की व्यवस्था नहीं है, अपीलान्टस गरीब, मजदूर व्यक्ति है, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा इन बातों को नजरअंदाज करते हुये आदेश पारित कर दिये। ग्राम पंचायत पीपलकी ने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि राजकीय चरागाह भूमि में खसरा नम्बर 306/2 में से 2 बीघा भूमि को चरागाह भूमि से आबादी में परिवर्तन कर दिया जावे तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इसका अवलोकन करने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अपीलान्टस के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। अपीलान्टस गरीब, भूमिहिन, बी.पी.एल. व मजदूरी पेशे वाले व्यक्ति है जो कि मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते है, इनके पास में रहने के लिये अन्यत्र कहीं भी कोई भी जगह उपलब्ध नही है।

अपीलान्टस मजदूरी पेशे वाले व्यक्ति है जो कमाने खाने के लिये बाहर चले गये थे। पटवारी हल्का पीपलकी द्वारा यह बताये जाने पर की तुम्हारे रिहायशी मकानात जो है गैरकानूनी जगह पर बनाये गये है, राज्य सरकार द्वारा इनको कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है, तो इस बात से डर के अपीलान्ट द्वारा आदेश की नकल के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2017 को पेश किया, जिस पर दिनांक 20.09.2017 को नकल प्राप्त हुई, तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी। अपील जानकारी होने की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 04.08.2017 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2017 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पूर्व में आदेशिका दिनांक 26.09.2024 के द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करने तथा अन्यथा की स्थिति में पत्रावली का अवलोकन कर एवं वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने की हिदायत दी गई। फिर भी अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः अपील की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं गुणावगुण के आधार पर अपील का निस्तारण राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 20.09.2017 को होना अंकित किया गया है, अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2017 द्वारा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से एक अन्य प्रकरण में प्राप्त आदेश क्रमांकः प. 1(88)राज–3/2015 दिनांक 23.03.2017 के अनुसरण में ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 306/2 रकबा 90 बीघा 13 बिस्वा में से 2.00 बीघा भूमि को आबादी हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट करने के प्रस्ताव को एतद् द्वारा निरस्त कर भूमि से नियमानुसार अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार भी चारागाह भूमि को आबादी हेतु सेट अपार्ट किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2017 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 01.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर